

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधिनियम), वाराणसी।

आपराधिक वाद संख्या-1059/2026

सरकार

बनाम

Devansh Rai M/s Tata Airtel

अपराध संख्या-2599/2023

धारा- 135 विद्युत अधिनियम

थाना- एंटी पावर थेफ्ट

जिला- वाराणसी

दिनांक-09-05-2026

- 1- पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी।
- 2- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मुकदमें में, अभियुक्त के द्वारा, निर्धारित की गयी राजस्व धनराशि को मय शमन शुल्क के साथ जमा कर दिया गया है। विवेचक द्वारा विद्युत विभाग द्वारा जारी रसीदों/अदेयता प्रमाण पत्र को संलग्न पत्रावली किया गया है और उक्त आधार पर प्रस्तुत मुकदमें में अंतिम आख्या प्रस्तुत किया है।
- 3- विद्युत विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक(विद्युत अधिनियम) द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा शमन एवं राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में नो-इयूज प्राप्त कर FR प्रेषित किया गया है। अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत की जा सकती है।
- 4- इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध के बावत शमन शुल्क व राजस्व शुल्क जमा कर दिया गया है। विद्युत विभाग के विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार किया जाये।

(सुशील कुमार खरवार)

विशेष न्यायाधीश (आव०व०अधि०)

वाराणसी

JO Code-UP 06498